


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प.19(1)शिक्षा-2/2013 पार्ट, जयपुर दिनांक-24.01.2019 के क्रम में श्रीमती शिल्पा दहिया, पी.जी.टी. (हिन्दी), सर्वोदय कन्या विद्यालय निठारी, नई दिल्ली की प्रतिनियुक्ति राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जस्सूसर गेट, बीकानेर में व्याख्याता हिन्दी के पद पर वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक-प.1(3)वित्त/नियम/2005 पार्ट 1 दिनांक-17.05.2011 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ एक वर्ष के लिये की जाती है:-

- प्रतिनियुक्ति के दौरान कार्मिक को पैतृक संस्थान में प्राप्त वेतन एवं भत्ते अथवा राज्य सरकार में जिस पद कि विरुद्ध प्रतिनियुक्ति की गई है उस पद के वेतन एवं भत्ते (जो भी कम हो) देय होंगे। कार्मिक को वे अतिरिक्त भत्ते/सुविधाएँ देय नहीं होंगी जो उसे पैतृक संस्थान में प्राप्त थी, परन्तु राज्य सरकार में उसके समकक्ष कर्मचारी को देय नहीं है। जैसे परिवहन भत्ता, चिल्ड्रन एज्युकेशन अलाउंस, एल.टी.सी सुविधा आदि प्रतिनियुक्त कर्मचारी को देय नहीं होगी।
- यदि कार्मिक की नियुक्ति नवीन पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के अन्तर्गत है तो प्रतिनियुक्ति के दौरान ऐसे कर्मचारियों के वेतन से पैतृक संस्थान के नियमों के अनुसार नई पेंशन अंशदान योजना की वसूली योग्य राशि वेतन से काटी जायेगी तथा कार्मिक व नियोक्ता का अंशदान प्रत्येक माह नियमित रूप से पैतृक संस्थान को भिजवाया जायेगा।
- प्रतिनियुक्त कार्मिक को अवकाश का लाभ पैतृक संस्थान के सेवा नियमों के अनुसार ही देय होंगे।
- प्रतिनियुक्त कार्मिक को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
- कार्मिक को प्रतिनियुक्ति के दौरान पैतृक संस्थान से बोनस/एक्सग्रेसिया का भुगतान देय होता है, तो यह भुगतान पैतृक संस्थान द्वारा नहीं किया जायेगा। ऐसे कर्मचारियों को राज्य सरकार के समकक्ष कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा बोनस/एक्सग्रेसिया देय किये जाने पर पैतृक संस्थान अथवा राज्य सरकार द्वारा घोषित दर (जो भी कम हो) से बोनस/एक्सग्रेसिया का राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- चिकित्सा सुविधा एवं यात्रा भत्ता राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप ही देय होंगे।  
यह प्रतिनियुक्ति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101900047 दिनांक-09.01.2019 एवं कार्मिक (क-2) विभाग की आई.डी. संख्या 74 दिनांक-22.01.2019 की सहमति से जारी की जाती है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/शिल्पा दहिया/प्रतिनियुक्ति/2019  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 Dy. Director of Education (NW-B) Admn, Branch: FU-Block, Pitampura, Delhi-34
- 2 ADE (E-11), Dte. of Edn. Delhi-34
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर को उनके पत्र दिनांक-24.01.19 के क्रम में।
- 4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 5 सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 6 Principal/HOS, SKV, Nithari, Delhi (School ID- 1412093)
- 7 अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को वैबसाईट पर अपलोड हेतु
- 8 संबंधित प्रधानाचार्य
- 9 श्रीमती शिल्पा दहिया, पी.जी.टी. हिन्दी सर्वोदय कन्या विद्यालय निठारी, दिल्ली
- 10 रक्षित पत्रावली

दिनांक- 28/01/2019



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर